

बिहार सरकार  
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

संचिका सं०- मं०मं० 01/आर०-28/06..... दिनांक.....

संकल्प

सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में नीति एवं प्रक्रिया का निर्धारण मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प सं०- 3918 दिनांक-25.10.80 द्वारा किया गया था। उपर्युक्त संकल्प के खंड (क) (1) के आंशिक संशोधन एवं प्रतिस्थापन में सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

"विभिन्न विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन का समय अक्टूबर से मई महीना है पूर्व व्यवस्था के अनुसार मई-जून के अलावे नवम्बर-दिसम्बर माह में भी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा सकता है। लेकिन योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अवधि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि पदाधिकारियों/कर्मचारियों का रूटीन स्थानान्तरण/पदस्थापन केवल जून माह में ही किया जाय। जून माह को छोड़कर शेष अवधि में केवल वैसे ही स्थानान्तरण/पदस्थापन किये जाये जो प्रोन्नति के फलस्वरूप या कार्यहित अथवा प्रशासनिक कारण से आवश्यक हों।"

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को "बिहार राजपत्र" के असाधारण अंक में तुरत प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/सभी प्रमंडलायुक्तों/सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(गिरीश शंकर)

सरकार के सचिव

ज्ञापक- मं०मं० 01/आर०-28/06..... दिनांक.....

प्रतिलिपि- सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(गिरीश शंकर)

सरकार के सचिव।